

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी






मुकाम रायसिंहनगर

गुरदेवसिंह आदि बनाम दयालो आदि

रसम मुकदमा 53-92ए-209 आरटीएक्ट

नम्बर 27 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी 2025/55

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
03.2025	<p>वादी गुदेवसिंह पुत्र श्री सन्तोखसिंह जाति बावरी साकिन 6 पी.टी.डी. बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर की ओर से श्री मनिन्द कुमार अधिवक्ता ने वाद-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27/04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               (सुभाष चन्द्र)              आर.ए.एस.              उपखण्ड अधिकारी              रायसिंहनगर           </p> <p><i>Handwritten notes:</i>              24/4/2025 आद पत्रावली पेश की थी              वकील मय. राजिद शीले का प्रतिस्वत रूप से              होकर फर्द अहकाम पत्रावली              Not Press करने हेतु निवेदन किया।              वादी के कथनों पर विश्वास करते हुए              वकील के पत्र पर ही कार्य होगा              Not Press करने की अतिवृत्ति पुराने              की जाती है पत्रावली मिलने पर              जमानत करवा              निवेदन हुआ है           </p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              रायसिंहनगर           </p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>275 24/4/25</p> <p>Not Press              Jh              24/4/25</p> <p style="text-align: center;">               LTZ गुरदेवसिंह           </p> <p style="text-align: right;">  </p>